संख्या– /XVII-3/2017–01(11)/2017

प्रेषक,

सी.एस. नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 14 जुलाई, 2017

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना' हेतु प्राविधानित धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–322/नि.अ.क./924–बजट मांग/2017–18, दिनांक 21.06.2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. उक्त योजना से जनसामान्य को लाभान्वित किये जाने हेतु समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन संचालन योजना नियमावली–2005 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान बैंक खाते/मोबाईल नम्बर/आधार नम्बर का प्रयोग करते हुए ऑनलाईन किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. उक्त शासनादेशों के प्रस्तर–12 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार ही नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार धनराशि का व्यय किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुार ही आहरित की जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग करके उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा शेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में यथाप्रक्रिया समर्पित कर दिया जाएगा।
8. उक्त धनराशि के सापेक्ष समस्त व्यय की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में 'अनुदान संख्या–15' के 'राजस्व पक्ष' "लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–00–800–अन्य व्यय –00–17–मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना" के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्याः 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी.संख्या–S1707150285, दिनांक 14 जुलाई, 2017 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30.06.2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(सी.एस. नपलच्याल)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–1242/ XVII- 3/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2– महालेखाकार, आडिट उत्तराखण्ड, इन्द्रानगर, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
10. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।